कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

कमांक : 80 **दिनांक : 26.08.2025**

कार्यालय आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 (2) एवं 450 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न आदेश पारित करते हुए बमाह **सितम्बर** –2025 में निम्नांकित अवकाश के दिन राजसमन्द न्याय क्षेत्र की सीमाओं में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात्, जमानत आवेदन, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन एवं अन्य आवश्यक कार्यों की सुनवाई बाबत् निम्नांकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को समय 11:00 ए.एम. से 2:00 पी.एम. तक संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार रिमाण्ड ड्यूटी कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है :–

क.सं.	न्यायिक अधिकारी का नाम	पद	अवधि
1.	श्री यतीन्द्र चौधरी	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), राजसमन्द	02.09.2025 03.09.2025 05.09.2025 07.09.2025
2.	श्रीमती अनिता शर्मा	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द	13.09.2025 14.09.2025
3.	श्री सुनिल	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा	21.09.2025 22.09.2025
4.	श्रीमती साक्षी शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द	27.09.2025 28.09.2025 30.09.2025

निर्देश :–

1. अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्वर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे, जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।
3. नियत किए गए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें तो कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
4. उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा संबंधित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले मामले अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/लिंक अधिकारी यदि मुख्यालय पर उपलब्ध हों तो आवश्यक प्रकृति के उपरोक्त कार्य करने हेतु इस आदेश से बाधित नहीं रहेंगे।
5. ड्यूटी हेतु अधिकृत न्यायिक अधिकारी विशेष परिस्थितियों में ही रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।

(ममता सैनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

कमांक : स्था0/2025/ 687. दिनांक : 26.08..2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द।
2. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, नाथद्वारा।
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को भेजकर लेख है कि संबंधित थानाधिकारी को तुरंत सूचित करावें।
4. इंचार्ज, कन्ट्रोल रूम, एस.पी. कार्यालय व समस्त थानाधिकारी राजसमन्द क्षेत्र को तुरन्त प्रसारित करने हेतु।
5. संबंधित मजिस्ट्रेट्स को सूचनार्थ एवं पालनार्थ जरिये ई–मेल/व्हाट्सएप
6. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय को ई–कोर्ट्स राजसमन्द वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. कार्यालय प्रति।

(ममता सैनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द